

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION Mumbai REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

> सख्या N-13.02352 No

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग को करते हए स्नैपमिंट फाइनैन्शल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In expersise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India act, 1934

SNAPMINT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

गै.बैं.प.वि

दो हज़ार जुन

उन्नीस की

सत्ताईस

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

Mumbai

Nineteen

Twenty Seventh day of this

Two Thousand

(शैलेंद्र त्रिवेदी / Shailendra Trivedi) महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager





- 1. पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।
- 1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
- 2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तीं तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।
- 2. The Certificate of Registrastion is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- 3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।
- 3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines/instructions etc. issued by the Bank and as applicable to it.
- 4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उस के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये:
- 4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under:

"कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक ते. ते. जिल्ला की धं पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी/देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"

"The company is having a valid Certificate of Registration dated 27-Jun-19 issued by Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the company."

- 5. आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमती नहीं है।
- 5. Your company is not allowed to accept/hold public deposits.
- 6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।
- 6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.